रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 17—मार्च 23, 2019, शनिवार/फाल्गुन 26, 1940—चैत्र 2, 1941

No. 9] NEW DELHI, MARCH 17— MARCH 23, 2019, SATURDAY/ PHALGUNA 26, 1940 —CHAITRA 2, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय नियम, 1996 में कार्यरत सिविलयनो के लिए निवास स्थान के आबंटन को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :--

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय नियम, 1996 में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आबंटन में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"7. (क) एक आवेदक नीचे दी गई सारणी में तत्संबंधी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट बेतन मैट्रिक्स में स्तर के अनुसार स्तंभ (1) में दिखाए गए प्रकार के आवास के आबंटन के लिए पात्र होगा:--

आवास के प्रकार	विद्यमान ग्रेड बेतन/मूल बेतन	बेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
I	1300 रु., 1400 रु., 1600 रु.,1650 रु. और 1800 रु.	1
II	1900 रु., 2000 रु., 2400 रु. और 2800 रु.	2,3,4,5

III	4200 रु., 4600 रु. और 4800 रु.	6,7,8
IV	5400 रु. और 6600 रु.	9,10,11
IV(S)	6600 रु.	11
VA(D II)	7600 रु. और 8000 रु.	12
VB(D I)	8700 रु. और 8900 रु.	13, 13 क
VI A(C II)	10000 रु.	14
VI B(C I)	67000 रु. और 74999 रु.	15 (स्तर में 1 से 4 तक सूचकांक)
VII	75000 रु. और 79999 रु.	15 (स्तर में 5 से 8 तक सूचकांक) 16
VIII	80000 रु. और अधिक	17, 18

(ख) वास प्रकार I से प्रकार IV तक के संबंध में पूर्विकता की तारीख सरकारी सेवा में पद ग्रहण करने की तारीख से होगी और उच्च प्रकार के वास के लिए उस अधिकारी के संबंधी वेतन मैट्रिक्स में वेतन आहरण करने की तारीख से होगी ।

(ग) जहां अधिकारियों का वेतन समतुल्य है, वहां ज्येष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी से पूर्विकता दी जाएगी ।

(घ) जहां वास प्रकार V और प्रकार VI, प्रकार Vक और प्रकार Vख या प्रकार VIक और प्रकार VIख के रूप में वर्गीकृत किए गए है, ऐसी दशा में प्रकार V और प्रकार VI के लिए सभी पात्र आवेदक रिक्त हुए वास के कारण राजस्व की किसी हानि से बचने के लिए वास की उपलब्धता के अनुसार समूहकृत होंगे ।

(ङ) स्टेशन जहां आवास कतिपय नियुक्तियों या स्थापन के प्रमुख और आवश्यक सेवाओं के लिए प्रधान कार्मिक के लिए निश्चित किए गए है, संबंधी आवेदक उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में उल्लेखित आवास के प्रकार को विचार में लाए बिना निश्चित किए गए गृह के हकदार होंगे और अनुज्ञप्ति फीस आबंटित किए गए आवास प्रकार के अनुसार होगी।

(च) संपदा अधिकारी या संपदा या स्टेशन के समन्वयकारी अधिकारियों द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण और अधिकारिताओं के अधीन परिसरों में आवास की उपलब्धता के अनुसार और संपदा या स्टेशन की दशाओं के अनुसार आवास के आवंटन के लिए संपदा या स्टेशन के लिए स्थानीय मानक प्रचालन किया तथा इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप मानक प्रचालन प्रक्रिया का रखा जाना ।

[फा. सं. 81397/डीजीक्यूए/एडीएम/आरएमडी(सीडब्ल्यू)/100/डी(क्यूए)/2019]

जयाश्री सीआर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 02.02.1996 संख्यांक का.नि.आ. 1(अ) द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन (1) तारीख 22.04.2000, का.नि.आ. 90, (2) तारीख 29.03.2001 का.नि.आ. 67, (3) तारीख 27.02.2004 का.नि.आ. 31,(4) तारीख 29.10.2004 का.नि.आ. 162, (5) तारीख 07.10.2010 का.नि.आ. 46 और (6) तारीख 08.04.2015 का.नि.आ. 17 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 5th February, 2019

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments further to amend the Allotment of Residential Accommodation to Civilians Serving in Directorate General of Quality Assurance Rules, 1996, namely :-

In the Allotment of Residential Accommodation to Civilians Serving in Directorate General of Quality Assurance Rules, 1996, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :-

"7. (a) An applicant shall be eligible for allotment of residence of the type as shown in column (1) as per level in the pay matrix specified in the corresponding column (3) in the table below :-

Type of Residence (1)	Existing Grade Pay/Basic Pay (2)	Level in the pay matrix (3)
I	Rs 1300, Rs 1400, Rs 1600, Rs 1650 and Rs 1800	1
II	Rs 1900, Rs 2000, Rs 2400 and Rs 2800	2,3,4,5
III	Rs 4200, Rs 4600, and Rs 4800	6,7,8
IV	Rs 5400 and Rs 6600	9,10,11
IV(S)	Rs 6600	11
VA(D II)	Rs 7600 and Rs 8000	12
VB(D I)	Rs 8700 and Rs 8900	13, 13A
VI A(C II)	Rs 10000	14
VI B(C I)	Rs 67000 and Rs 74999	15 (index number 1 to 4 in the level)
VII	Rs 75000 and Rs 79999	15 (index number 5 to 8 in the level), 16
VIII	Rs 80000 and above	17, 18

(b) The date of priority in respect of Type I to Type IV accommodation shall be the date of joining the Government service and for Higher Type of accommodation, the date on which the officers start drawing pay in the relevant pay matrix.

(c) Where the pay of the officers is equal, the senior officer shall be given priority over the junior officer.

(d) Where type V and type VI accommodation has not been classified as type V-A and type V-B or type VI-A and type VI-B, as the case may be, all eligible applicants for type V and type VI shall be grouped as per the availability of accommodation to avoid any loss of revenue by the way of accommodation being vacant.

(e) Stations where residence are earmarked for certain appointments or Head of Establishment and Key personnel for essential services, the respective applicants shall be entitled the earmarked house irrespective of the type of residence mentioned in column (I) of the table above and License Fees shall be as per house type allotted.

(f) Estate Officers or Coordinating Officers of the Estate or Station to have local Standard Operating Procedure for the Estate or Station for allotment of accommodation as per the availability of accommodation and as per Estate or Station conditions in the premises under their administrative control and jurisdictions and the Standard Operating Procedure to be in line with the provisions contained in these rules.

[F. No. 81397/DGQA/ADM/RMD(CW)/100/D(QA)/2019]

JAYASREE CR, Under Secy.

Footnote :- The principal rule were published vide number SRO 1(E), dated 02-02-1996 and subsequently amended vide, (1) SRO 90, dated 22-04-2000, (2) SRO 67, dated 29-03-2001, (3) SRO 31, dated 27-02-2004, (4) SRO 162, dated 29-10-2004, (5) SRO 46, dated 07-10-2010 and (6) SRO 17, dated 08-04-2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.29 14:07:03 +05'30'